संख्या-2/2015/355/दो-4-2015-45(12)/91 टी.सी.

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2015

विषय:- प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2002 के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 शेट्टी आयोग की संस्तुति एवं तत्क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2002 के अनुपालन में उक्त संस्तुति को दिनॉक 21-3-2002 से स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित एवं चयन के समय ही विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टी.सी., दिनांक 13 मई, 2009 सपठित शासनादेश संख्या-1705/दो-4-2011-45(12)/91टी.सी., दिनांक 03 जनवरी, 2012 द्वारा प्रदान की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-19/2012, भरत कुमार शान्तिलाल ठक्कर बनाम् गुजरात राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01-04-2014 एवं तद्क्रम में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-16117 / IV f 82(**loose**), दिनांक 15-11-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 21-3-2002 के पूर्व चयनित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एलएल0एम0) धारित करने वाले उ0प्र0 न्यायिक सेवा एवं उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अधिकारियों को भी 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- वे0आ0-2-323/दस-2015, दिनांक 25-3-15 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2015/355(1)/दो-4-2015-45(12)/91 टी.सी., तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, आडिट, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

6- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

7- संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

8- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0प्र0।

9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

10- वित्त(सामान्य) अनुभाग-1, 2 एवं 3, उ0प्र0 सचिवालय।

11- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-5/वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2, उ0प्र0 सचिवालय।

12- इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ0प्र0 सचिवालय।

13- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।

14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।